न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 470 सन 2018

अनवान :—

1. सुमेरसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपुत साकिन चैनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 10.01.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 373/332 के खसरा न0 737 की 4.7820हैक भूमि में वादी के पिता का नाम हीरसिह दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम हरिसिह है वादी के समस्त दस्तावेजात में परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड , आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व वोटर लिस्ट में वादी के पिता का नाम हरिसिह दर्ज है वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में हरिसिह दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादी के वाद /नाम संशोधन के सम्बंध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 373/332 की 4.7820हैक में दर्ज हीरसिह की जगह हरिसिह राज्यहक प्रभावित नही होता हो तो शुद्व किये जाने पर कोई आपत्ति नही है

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 373/332 कुल 4.7820हैक भूमि में वादी के पिता का नाम हीरसिह दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र , में प्रार्थी का नाम हरिसिह दर्ज अर्थात वादी के पिता का नाम सही नाम हरिसिह होना प्रतित होता है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने पर राज्यहक प्रभावित नही होते है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक संशोधन होता है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक /वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 373/332 में दर्ज कुल भूमि 4.7820है में वादी के पिता का नाम सुमेरसिह पुत्र हीरसिह दर्ज है के स्थान पर सुमेरसिह पुत्र हीरसिह उर्फ हरिसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)